न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :–संजीव कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 38 / 2023

1. अजीज बानो पत्नी स्व. यासीन खां
2. रफीक मालावत } पि0 यासीन खां
3. राजा बाबू
4. शबीना बानो,
5. आबिद अली पुत्र मोहम्मद अयुब
6. सराफत अली पुत्र गनी खां

} जाति मुसलमान निवासीगण लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

–वादीगण

बनाम

1. मूलाराम पुत्र नारायणराम
2. ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम
3. छिन्नाराम पुत्र कुम्भाराम
4. भानीराम पुत्र बेगाराम
5. किशनाराम पुत्र बेगाराम
6. जोरूराम पुत्र मूलाराम

} जाति मेघवाल निवासीगण सुरनाणा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1 श्री नेतराम सियाग वादीगणवकील

2. प्रतिवादीसंख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश

3पेरोकारराज।

दावा बाबत बेदखली

दावा अन्तर्गत धारा 183 आरटीए

–: निर्णय :–

दिनांक :–08.02.2024

वादीगण वकील एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से श्री नेतराम सियाग वकील द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा रोही सुरनाणा तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 96 तादादी 6.3200 हैक्टेयर खरीद शुदाभूमि का वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार है। वादीगण की भूमि नक्शा में पुख्ता तरमीम है। वादीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के आसे–पासे निम्न प्रकार से है : उत्तर मे खसरा नम्बर 101,94 दक्षिण मे खसरा नम्बर 77 व 98 तथा पूर्व मे खसरा नम्बर 97 व 98 तथा पश्चिम मे खसरा नम्बर 95 है । उपरोक्त आसेपासे के मुताबिक भूमि के चारों ओर बाड की गई थी उक्त बाड को प्रतिवादीगण ने उखाडने की चेष्टा की गई इस कारण वादीगण ने अपने परिवारवालों के साथ मिलकर प्रतिवादीगण से बार–बार कहा कि आपने मेरी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि को छोड दो तब प्रतिवादीगण कहते रहे कि छोडदेंगे व टालमटौल करते रहें।

वादीगण प्रतिवादीगण से मिला और कहा कि वादगत भूमि पर उनका बेजा, विधि विरूद्ध नाजायज कब्जे का दिनांक 8.4.2022 को पटवारी हल्का द्वारा वादीगत भूमि का सीमाज्ञान करवाया जो प्रतिवादीगण द्वारा पूर्ण सीमाज्ञान नही करने दिया। जिससे स्पष्ट इल्म हो गया और कोई भ्रमक स्थिति नहीं रही थी पुनः राजस्व टीम द्वारा दिनांक 27.04.2022 को पुनः सीमाज्ञान किया गया जिससे लगभग 0.51 हैक्टेयर भूमि दक्षिण व पूर्वी कोने की भूमि प्रतिवादीगण ने अपने बाडे बना रखे है। वादीगण प्रतिवादीगण को मौतबिरानो के समक्ष वादीगण की भूमि से अपना विधि विरूद्ध कब्जा हटा लेने तथा वादीगण की अतिक्रमित भूमि का कब्जा सौप देने का बारबार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण टालमटौल करते रहे वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद का आधार एवं कॉजऑफ एक्शन दिनांक 27.04.2022 को उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीगण ने दक्षिणी–पूर्वी दिशा के कोने पर लगभग 0.51 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जाकर रखा है प्रतिवादीगण वादीगण के पडौसीगण है। प्रतिवादीगण खेत सीमा के पडोसी होने का बेजालाभ उठाकर खसरा नम्बर 96 की तादादी 6.3200 हैक्टेयर मे से 0.51 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। दिनांक 20.06.2022 को वादीगण वादगत भूमि पर गये तो प्रतिवादी गणवादीगण की वादगत भूमि मे बाडे बना कर बैठे हुए थे जिन्होने वादीगण को अपनी उपरोक्त वादगत भूमि मे प्रवेश नहीं करने दिया एवं वादीगण के साथ गाली गलोच करने पर उतारू हो गये आवाज सुनकर अन्य खेत पडोसी एवं राहगीर आ गये

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

जिन्होने भी प्रतिवादीगण को समझाया की उक्त भूमि वादीगण की है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण एवं अन्य लोगो की एक भी बात नहीं मानी एवं प्रतिवादीगण ऐलानीयां धमकी दी की हमने तो वादीगण की लगभग 2 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है तुम्हे जो करना है करलो हम कब्जा नहीं छोडोगे इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद बेदखली एवं कब्जा हासिल करने का वाद दायर करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा है वादीगण को दिनांक 20.6.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद बेदखली का वाद कारण पैदा हुआ यही दिनांक विनाय दावा एवं विनाय मुखस्मत है। अतः दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। उपरोक्त वादगत भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है प्रतिवादी गणवादगत भूमि के खातेदार गैर खातेदार काश्तकार कुछ भी नहीं है फिर भी वादीगण कि भूमि पर जबरन कब्जाकर रखा है। जिसका कोई अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है। प्रतिवादीगण वादगत भूमि पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है। जबकि वादीगण रिकॉर्डेड काश्तकार है। अतः वकीलवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा रोही सुरनाणा तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 96 रकबा 6.3200 हैक्टेयर भूमि से दक्षिणी–पूर्वी दिशा की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादगत भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाए। अतिकमण के दिन से ताफैसला व डिकी दावा प्रतिवादीगण से वादीगण को अतिकमण अवधि का नियमानुसार हर्जाना वसूल कर दिलवाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। तामिल समन प्राप्त हुए सूचना के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण पूर्व में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रतिवादीगण संख्या 7 स्टेट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हैं बिन्दुवार स्टेट जवाब पेश किया गया वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को रिकार्ड की हद तक स्वीकार किया तथा मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट दिनांक 08.04.2022 को मयटीम सीमाज्ञान करने पहुंचे। उत्तरी एवं पश्चिमसीमा का सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह दिए गए। उत्तर पूर्व कोणे से दक्षिण के कोने को कायम करा उत्तर–पूर्व सीमा कम निर्धारण किया। उत्तर–पूर्व कोने से दक्षिण की तरफ जरीब चल जाने पर ग्राम की आबादी की सीमा का निर्धारण करने में ग्रामीणों द्वारा आपति की गई एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण दक्षिण–पूर्व को नाकायम नहीं हो सका। अतः सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। पूनः दिनांक 27.04.2022 को छूटे हुए दक्षिण पूर्व कोने को कायम किया गया शेष तथ्य रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार किये गए।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हमने बहस का मनन किया । प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से वाद–पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दीसंवत 2078 ग्राम सुरनाणा खसरा नम्बर 96 तादादी 6.3200 हैक्टेयर, प्रमाणित नक्शा खसरा नम्बर 96, तहसीलदार लूनकरनसर पंत्राक 1327 दिनांक 20.21.2022 की प्रति शामिल मिसल है। प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं बहस से साबित होता हैं की उक्त भूमि वर्तमान रिकार्ड में वादीनी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। वादीगण की उक्त भूमि मौजा रोही सुरनाणा तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 96 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि मे से 0.51 हैक्टेयर भूमि से दक्षिणी–पूर्वी दिशा की भूमि से प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी अधिकार कब्जा किया गया है जो किसी खातेदार की भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा है अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को वादीगण की उक्त भूमि मौजा रोही सुरनाणा तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 96 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि मे से 0.51 हैक्टेयर भूमि से दक्षिणी–पूर्वी दिशा की भूमि से बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिकरी जारी हो। प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

अजीजबनो वगै. बनाम मूलाराम वगै

दावा अंतर्गत धारा 183 आरटीए

मुकदमानम्बर : 38/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादीगण वकील नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को वादीगण की उक्त भूमि मौजा रोही सुरनाणा तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 96 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि मे से 0.51 हैक्टेयर भूमि से दक्षिणी–पूर्वी दिशा की भूमि से बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीससदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे द्वारा डिकरी जारी की गई।

उपखण्डअधिकारी
लूनकरनसर